भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1158
दिनांक 09 फरवरी, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों को अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण

1158. एडवोकेट डीन कुरियाकोस:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्य स्वास्थ्य विभागों राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबीपीएमजेएवाई) मिशन और आयुष्मान डिजिटल स्वास्थ्य मिशन में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (बीएमजीएफ) सहित अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ कार्य करने की अनुमति/निर्देश दिए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण प्राप्त करने वाली एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण एजेंसियों को अनुसंधान और कार्यान्वयन सहायता से संबंधित कार्य के लिए पीएमजेएवाई औरएबीडीएम के लिए राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों के साथ कार्य करने के लिए एचएमएससी की मंजूरी की आवश्यकता है;
(ग) क्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) ने अनिवार्य अनुमतियों और अनुमोदनों की आवश्यकता वाले राज्य स्वास्थ्य अभिकरणों के साथ कार्य कर रही अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों/परामर्शदात्री फर्मों की कोई निगरानी/मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या एनएएच ने पीएमजेएवाई में राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों को वैश्विक दवा कंपनियों द्वारा अनुसंधान और कार्यान्वयन सहायता की समीक्षा करने के लिए कोई तंत्र स्थापित किया है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (प्रो.एस.पी.सिंह बघेल)

(क) से (घ): राज्य स्वास्थ्य एजेंसियां अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ जुड़ने के लिए अपने स्वयं के अधिकार का प्रयोग करती हैं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) की '100 माइक्रोसाइट्स' परियोजना के संबंध में दिनांक 31.05.2023 को एक पत्र व्यवहार किया गया है, जिसका उद्देश्य छोटे क्लीनिकों में इंटरऑपरेबल डिजिटल सॉफ्टवेयर का उपयोग करना है, जिसके तहत राज्यों को माइक्रोसाइट स्थापित करने के लिए विस्तृत

प्रचालन संबंधी दिशानिर्देश प्रदान किए गए थे। उपर्युक्त दिशा-निर्देशों में राज्यों को इंटरफेसिंग एजेंसी के क्षमता निर्माण के लिए निशुल्क आधार पर विकास भागीदार की सेवाएं लेने का विकल्प दिया गया है। एनएचए द्वारा इस संबंध में प्राप्त रुचि के आधार पर, विकास भागीदारों की एक सांकेतिक सूची, जिसमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे जीआईजेड, पीएटीएच, जेएचपीईजीओ शामिल हैं लेकिन बीएमजीएफ नहीं, राज्यों को प्रदान की गई थी।

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (डीएचआर)/भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय की जांच समिति (एचएमएससी) गैर-सरकारी संस्थानों/संगठनों से संबंधित निकायों के लिए मानवों, जानवरों, पौधों और पर्यावरण में अध्ययन सहित स्वास्थ्य अनुसंधान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग/वित्तपोषण से जुड़े प्रस्तावों की जांच और मंजूरी देती है।

एनएचए ने अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों/परामर्शदात्री फर्मों का ऐसा कोई मूल्यांकन/मॉनीटरिंग नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत एसएचए को किसी एजेंसी द्वारा अनुसंधान और कार्यान्वयन सहायता की समीक्षा करने के लिए एनएचए द्वारा कोई तंत्र स्थापित नहीं किया गया है। एसएचए को राज्य में प्रचलित मौजूदा नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार योजना कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित सहायता के लिए विभिन्न संगठनों/एजेंसियों को नियुक्त करने की छूट है।

*****